

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/संवि०पदा०-217/2024- / स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० हेना खुर्शीद, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवाड़ा, दरभंगा के द्वारा दिनांक-01.02.2026 से 31.07.2026 तक कुल-181 (एक सौ इक्कासी) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-513(25), दिनांक-07.03.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० खुर्शीद को 336 (तीन सौ छत्तीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/संवि०पदा०-217/2024-

1667(2)

पटना, दिनांक 20/7/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवाड़ा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/डा० हेना खुर्शीद, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवाड़ा, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

VKamakhia
सरकार के उप सचिव
६